न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/65/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/135

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री सियाराम पुत्र स्व. श्री रामकरण मीना, नि. निचला गुवाडा, ग्राम–खोह दरीबा, तहसील–टहला, जिला–अलवर (राज.)–301410		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 21.04.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 23.05.2022

1. अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 15.02.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी को उक्त अधिनियम के तहत प्रा0पत्र प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत खोहर दरीबा के निचला गुवाडा माडा में आवेदक स्वयं व अन्य व्यक्तियों के मकान में, पुरानी थाई व उस पर स्थित मंदिर में की गई तोड़फोड़ और उखाडे गये पेड़ों **के संबंध में** 03 बिन्दुओं पर सूचना/प्रतिलिपि चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन दिनांकः 15.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रा0पत्र दिनांकः 11.04..2022 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी अनुपस्थित किन्तु पत्र सं. आर.टी.आई./2022/1198 दिनांकः 02.05.2022 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम बिन्दुवार जवाब नोटिस पेश किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांकः आर.टी.आई./2022/1197 दिनांकः 02.05.2022 के माध्यम से सूचना आवेदन पर बिन्दुवार विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
7. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलान्तर्गत जारी नोटिस के संदर्भ में प्रेषित जवाब पर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रा0पत्र दिनांकः 23.05.2022 के माध्यम से आक्षेप व्यक्त कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
8. अपील के तथ्यों, प्राप्त जवाब नोटिस व जवाब के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप–प्रा0पत्र का परीक्षण किया गया।
9. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त इस न्यायालय में जवाब पेश किया है जो उचित नहीं है व अधिनियम के विधिक प्रावधानों के प्रति उदासीनता का परिचायक है।
10. तथापि प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अपीलार्थी द्वारा अपील व आक्षेपित–पत्र दिनांकः 23.05.2022 में उठाये गये तथ्य प्रश्नात्मक, काल्पनिक, व्यथा व शिकायतों पर कार्यवाही/रोष–स्वरूप हैं जिनका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के स्तर पर निस्तारण किया जाना संभव नहीं है। इस हेतु संविधान में उपलब्ध उपयुक्त मंच के समक्ष शिकायत/परिवाद दायर कर नियमानुसार अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।
11. अतः अपील, अपीलार्थी अ**स्वीकार** की जाकर निस्तारित की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विनिर्दिष्ट समयावधि में ही विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित किया जावे।
12. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
13. आज दिनांकः 23.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्या० अति० जि० कलै० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(वन्दना खोरवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)